न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

वासगीत अपील वाद संख्या– 05/2015

जगदीश तॉंती वगैरह बनाम शिवचन्द्र झा

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत वासगीत अपील जगदीश तॉंती वगैरह द्वारा कहरा अंचल के वासगीत पर्चा अभिलेख 36/72–73 द्वारा झगरू तॉंती, पिता– सुकन तॉंती एवं अन्य के नाम निर्गत पर्चा को रद्ध कर वर्त्तमान में दखल कब्जे वाली जमीन का पर्चा निर्गत करने हेतु दाखिल किया गया है।

इनका कहना है कि आवेदक/अपीलकर्त्ता एवं इनके पूर्वज प्रश्रय प्राप्त रैयत है एवं प्रतिपक्षी के माता के जमीन पर रहते आये है। आवेदक एवं इनके पूर्वज भवानी देवी के जमीन पर बसे हुए थे तथा पर्चा के लिए आवेदन किये एवं आवेदक अथवा उनके पिता के नाम पर्चा निर्गत कर दिया गया, जिसका विवरण सिडूल– 1 पर है। आवेदक अथवा उनके पूर्वज के नाम निर्गत पर्चा में खाता 242, खेसरा 3551 भूलवश दर्ज हो गया, जबकि खाता नं0 1054, 501 खेसरा 3550, 3549, 3548 अंकित किया जाना चाहिए था। जानकारी होने पर आवेदक प्रतिपक्षी भू–स्वामी से सम्पर्क किया। प्रतिपक्षी भू–स्वामी ने कहा कि जिस भूमि पर आप रह रहे है और पर्चा दूसरे जमीन का मिल गया है के लिए सक्षम पदाधिकारी से पर्चा सुधार करवा लें। आवेदक प्रशासनिक स्तर पर जिला पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया जिस पर अंचलाधिकारी कहरा से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर आवेदकों को समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दाखिल करने का निदेश मिला। भू–स्वामी भवानी देवी का एक मात्र उत्तराधिकारी उनका पुत्र प्रतिपक्षी है, जिन्हें पर्चा सुधार में कोई आपत्ति नहीं है। जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न कर सीडूल– 2 में वर्णित पर्चाधारियों के खाता–खेसरा का सुधार करने या बदलवाने की याचना की गयी है। प्रतिपक्षी भू–स्वामी श्री शिवचन्द्र झा ने भी पर्चा में सुधार के लिए अपनी लिखित सहमति दी है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी कहरा को निदेशित किया जाता है वासगीत पर्चा अभिलेख 36/72–73 के प्रश्रय प्राप्त रैयतों के नाम निर्गत वासगीत पर्चा में अपेक्षित सुधार कर नये सिरे से पर्चा निर्गत करें।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

11.3.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

11.3.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 449-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 11-3-17

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए अंचल अधिकारी, सहरसा (कहरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

11/3/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

11-3-17